



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]  
No. 408]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2008/आषाढ़ 27, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2008/ASADHA 27, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 547(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2008 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय तार नियम, 1951 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 525 के उपनियम (2) के खंड (ii) में मद (क) के पश्चात् निम्नलिखित मद (कक) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(कक) पहुंच कमी प्रमारों के चरणबद्ध हो जाने के कारण ग्रामीण वायर लाइनों के प्रचालन संबंधी प्रमाणिता के लिए भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2008 के प्रवृत्त होने की तारीख से पात्र प्रचालकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो हजार करोड़ रुपए की रकम प्रति वर्ष 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व प्रतिष्ठापित घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी ।” ।

उक्त नियमों के नियम 526 में,—

- (i) “मद (क)” में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर “मद (क) और मद (कक) में” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए “पात्र प्रचालकों” से बुनियादी सेवा प्रचालक सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस धारक, अवसंरचना प्रदाता और इंटरनेट सेवा प्रदाता अभिप्रेत है।

[फा. सं. 30-1/2004-एलएफ]

मनीष सिन्हा, डीडीजी (एलएफ)

टिप्पण : मूल नियम, डाक और तार निर्देशिका जिल्द 1, विधायी अधिनियमितियां, भाग 2, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए :-

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. साकानि 190 तारीख 18.2.1984       | 29. साकानि 812(अ) तारीख 26.7.1988  |
| 2. साकानि 386(अ) तारीख 22.5.1984    | 30. साकानि 888(अ) तारीख 1.9.1988   |
| 3. साकानि 387(अ) तारीख 22.5.1984    | 31. साकानि 907(अ) तारीख 7.9.1988   |
| 4. साकानि 679 तारीख 30.6.1984       | 32. साकानि 916(अ) तारीख 9.9.1988   |
| 5. साकानि 428 तारीख 27.4.1985       | 33. साकानि 1054(अ) तारीख 2.11.1988 |
| 6. साकानि 729 तारीख 3.8.1985        | 34. साकानि 179 तारीख 18.3.1989     |
| 7. साकानि 982 तारीख 19.10.1985      | 35. साकानि 358(अ) तारीख 15.3.1989  |
| 8. साकानि 553(अ) तारीख 27.3.1986    | 36. साकानि 622(अ) तारीख 15.6.1989  |
| 9. साकानि 314 तारीख 26.4.1986       | 37. साकानि 865(अ) तारीख 29.9.1989  |
| 10. साकानि 566 तारीख 26.7.1986      | 38. साकानि 413(अ) तारीख 29.3.1990  |
| 11. साकानि 953(अ) तारीख 23.7.1986   | 39. साकानि 574(अ) तारीख 15.6.1990  |
| 12. साकानि 1121(अ) तारीख 1.10.1986  | 40. साकानि 933(अ) तारीख 3.12.1990  |
| 13. साकानि 1167(अ) तारीख 28.10.1986 | 41. साकानि 985(अ) तारीख 20.12.1990 |
| 14. साकानि 1237(अ) तारीख 28.11.1986 | 42. साकानि 74 तारीख 18.1.1991      |
| 15. साकानि 49 तारीख 17.1.1987       | 43. साकानि 237(अ) तारीख 25.4.1991  |
| 16. साकानि 112(अ) तारीख 25.2.1987   | 44. साकानि 251(अ) तारीख 2.5.1991   |
| 17. साकानि 377(अ) तारीख 9.4.1987    | 45. साकानि 543(अ) तारीख 21.5.1992  |
| 18. साकानि 674(अ) तारीख 27.7.1987   | 46. साकानि 560(अ) तारीख 26.5.1992  |
| 19. साकानि 719(अ) तारीख 18.8.1987   | 47. साकानि 587(अ) तारीख 10.6.1992  |
| 20. साकानि 837(अ) तारीख 5.10.1987   | 48. साकानि 730(अ) तारीख 19.8.1992  |
| 21. साकानि 989 (अ) तारीख 17.12.1987 | 49. साकानि 830(अ) तारीख 28.10.1992 |
| 22. साकानि 337(अ) तारीख 11.3.1988   | 50. साकानि 62(अ) तारीख 11.2.1993   |
| 23. साकानि 361(अ) तारीख 21.3.1988   | 51. साकानि 80 तारीख 6.2.1993       |
| 24. साकानि 626(अ) तारीख 17.5.1988   | 52. साकानि 384(अ) तारीख 27.4.1993  |
| 25. साकानि 660(अ) तारीख 31.5.1988   | 53. साकानि 387 (अ) तारीख 28.4.1993 |
| 26. साकानि 693(अ) तारीख 10.6.1988   | 54. साकानि 220(अ) तारीख 26.3.2004  |
| 27. साकानि 734(अ) तारीख 24.6.1988   | 55. साकानि 713(अ) तारीख 17.11.2006 |
| 28. साकानि 606 तारीख 14.7.1988      |                                    |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2008

**G.S.R. 547(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 525 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), in clause (ii), after item (a) the following item (aa) shall be inserted, namely :-

“(aa) For household Direct Exchange Lines installed prior to 1<sup>st</sup> day of April 2002, an amount of maximum Two thousand Crore rupees per annum for a period of three years shall be reimbursed to the eligible operators, from the date the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2008 come into force, for operational sustainability of rural wirelines in lieu of Access Deficit Charges being phased out”.

In rule 526 of the said rules,-

- (i) after the words, brackets and letters “Direct Exchange Lines referred to in item (a)”, the words, brackets and letters “and item (aa)” shall be inserted.
- (ii) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

“*Explanation.*- For the purposes of this rule, “eligible operators” means the Basic Service Operators, Cellular Mobile Service Providers, Unified Access Services Licensees, Infrastructure Providers and Internet Service Providers.

[F.No. 30-1/2004-LF]  
MANISH SINHA, DDG (LF)

**Note:** The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I. Legislative Enactments, Part II, Edition and were subsequently amended vide notification numbers:-

1. GSR 190 dt. 18-2-1984
2. GSR 386(E) dt. 22-5-1984
3. GSR 387 (E) dt. 22-5-1984
4. GSR 679 dt. 30-6-1984
5. GSR 428 dt. 27-4-1985
6. GSR 729 dt. 3-8-1985
7. GSR 982 dt. 19-10-1985
8. GSR 553 (E) dt. 27-3-1986
9. GSR 314 dt 26-4-1986
10. GSR 566 dt. 26-7-1986
11. GSR 953 (E) dt. 23-7-1986
12. GSR 1121 (E) dt. 1-10-1986
13. GSR 1167 (E) dt. 28-10-1986
14. GSR 1237 (E) 28-11-1986
15. GSR 49 dt. 17-1-1987
16. GSR 112(E) dt. 25-2-1987
17. GSR 377 (E) dt. 9-4-1987
18. GSR 674 (E) dt. 27-7-1987
19. GSR 719 (E) dt. 18-8-1987
20. GSR 837 (E) dt. 5-10-1987
21. GSR 989 (E) dt. 17-12-1987
22. GSR 337 (E) dt. 11-3-1988
23. GSR 361 (E) dt. 21-3-1988
24. GSR 626 (E) dt. 17-5-1988
25. GSR 660 (E) dt. 31-5-1988
26. GSR 693 (E) dt. 10-6-1988
27. GSR 734 (E) dt. 24-6-1988
28. GSR 606 dt. 14-7-1988
29. GSR 812 (E) dt. 26-7-1988
30. GSR 888 (E) dt. 1-9-1988
31. GSR 907 (E) dt. 7-9-1988
32. GSR 916 (E) dt. 9-9-1988
33. GSR 1054 (E) dt. 2-11-1988
34. GSR 179 dt. 18-3-1989
35. GSR 358 (E) dt. 15-3-1989
36. GSR 622 (E) dt. 15-6-1989
37. GSR 865 (E) dt. 29-9-1989
38. GSR 413 (E) dt. 29-3-1990
39. GSR 574 (E) dt. 15-6-1990
40. GSR 933 (E) dt. 3-12-1990
41. GSR 985 (E) dt. 20-12-1990
42. GSR 74 dt. 18-1-1991
43. GSR 237 (E) dt. 25-4-1991
44. GSR 251 (E) dt. 2-5-1991
45. GSR 543 (E) dt. 21-5-1992
46. GSR 560 (E) dt. 26-5-1992
47. GSR 587 (E) dt. 10-6-1992
48. GSR 730 (E) dt. 19-8-1992
49. GSR 830 (E) dt. 28-10-1992
50. GSR 62 (E) dt. 11-2-1993
51. GSR 80 dt. 6-2-1993
52. GSR 384 (E) dt. 27-4-1993
53. GSR 387 (E) dt. 28-4-1993
54. GSR 220(E) dt. 26-03-2004
55. GSR 713(E) dt. 17-11-2006